


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 520 / 2012.....जिला.....हनुमानगढ़.....

उनवान— मै ० सीटीओ बनाम विनायक ट्रैडर्स।

तारीख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियाल जज</p> <p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मनोहरपुरी – सदस्य</u></p> <p>30.03.2015</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरना उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी विभाग की ओर से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, गंगानगर के द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना—पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009–188 दिनांक 09.02.2015 का प्रत्यर्थी लाभ ले लिया है अतः वे प्रकरण वापस लेना (Withdraw) चाहते हैं।</p> <p>विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने भी प्रस्तुत अपील को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	<p>नग्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p style="text-align: right;">  (मनोहर पुरी) ३०/३/२०१५ सदस्य </p>
----------------	---	--